रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936
No. 67] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015/PHALGUNA 6, 1936

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

सं. 18–12/2012 सिद्ध (पी.जी. डिप.).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप–धारा (1) के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के नियमन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भः**–(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) वे उनके कार्यालय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं:–इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–**

(क) 'अधिनियम' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 है;

(ख) 'परिषद्' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् है;

(ग) 'मान्यता प्राप्त संस्था' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क या 13ग के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त एक संस्था है।

3. **लक्ष्य एवं उद्देश्यः**–सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य होंगे–

(क) नैदानिक विशेषताओं में कुशल सिद्ध विशेषज्ञ तैयार करना।

(ख) सिद्ध के क्षेत्र यथा–मरूतुवम्, वर्मम, वाथानोईगल, पुरमरूतुवम्, कुझनथैमरूतुवम तथा योगम में अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न विशेषताओं में विशेषज्ञ को तैयार करना।

(ग) विशेषताओं के सम्बन्धित क्षेत्र में निदान और प्रबन्ध के लिए निपुण और समर्थ बनाना।

4. **सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु विशेषताएं:**–सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध होंगी, अर्थात्:–

(क) तोल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डर्मेटोलॉजी) ;

(ख) मूतियर मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जेरिएट्रिक मेडीसिन) ;

(ग) कन मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (आप्थेल्मोलॉजी) ;

(घ) वथा नोई मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (रूमेटोलॉजी) ;

(ड.) नीरीझिवु मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डायबेटोलॉजी) ;

(च) करूवाक्का मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (फर्टिलिटी मेडीसिन) ;

(छ) मरून्तु सैयल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (फार्मास्यूटिक्स) ;

(ज) कायाकरपम तथा योगम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (रेजुवेनेशन तथा योगा) ;

(झ) माना नोई मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (साईकेट्रिक मेडीसिन) ;

(ञ) पुत्रू नोई मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अनकोलॉजी) ; तथा

(ट) नोईअनुगा विती ओझुक्कम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (प्रीवेन्टिव मेडीसिन)

5. **स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पारिभाषिक शब्दावली तथा विषयः**—पारिभाषिक शब्दावली, सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषय एवं विभाग जिसके अन्तर्गत ये पाठ्यक्रम सम्मिलित है, जैसा कि अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट है, के अनुसार होंगे।

6. **प्रवेश पद्धतिः**—(1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची तथा चतुर्थ अनुसूची में सम्मिलित विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सा संस्थान से सिद्ध मरूतुवा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी) में डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

(2) अभ्यर्थियों को अपना नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अथवा भारतीय चिकित्सा राज्य परिषद् अथवा सम्बन्धित देश की चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत कराना होगा।

(3) अभ्यर्थियों का चयन सर्वथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर होगा।

7. **अध्ययन की अवधि और उपस्थितिः**—(1) सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि परीक्षा की अवधि सहित दो वर्ष की होगी।

(2) प्रत्येक वर्ष परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए सिद्धांत, व्यवहार अथवा नैदानिक तथा संगोष्ठियों में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75% होना चाहिए, जैसा कि परिषद् द्वारा विहित किया गया है।

(3) अध्ययन की अवधि के दौरान छात्रों को अस्पताल की सभी ड्यूटी और अन्य ड्यूटी जैसा कि उनके लिये नियत किया गया है, पूरी करनी होगी।

(4) पाठ्य विवरण में विहित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों को विशेष व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों तथा कुछ अन्य क्रियाकलापों में भाग लेना होगा।

(5) छात्रों को सभी शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभाग के अन्य कार्यकलापों में भाग लेना होगा।

(6) संस्था द्वारा प्रति सप्ताह कम से कम एक संगोष्ठि आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक छात्र को उस संगोष्ठि में भाग लेना होगा तथा संगोष्ठि में प्रत्येक छात्र को चुने हुए विषय पर प्रस्तुतिकरण देना होगा तथा अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्र को कम से कम दस संगोष्ठियों में ऐसे प्रस्तुतिकरण देने होंगे।

8. **प्रशिक्षण की विधिः**—(1) शास्त्रीय जानकारी में विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ उस विशेषता में तुलनात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन प्रदान किया जाएगा।

(2) गहन अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।

(3) नैदानिक परीक्षण में छात्र स्वतंत्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी लेना ताकि विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(4) छात्र को सम्बन्धित विशिष्टताओं में अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं, तकनीकों तथा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(5) सैद्धन्तिक, शिक्षण एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार होगा।

9. **शिक्षा का माध्यमः**— इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा का माध्यम तमिल अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

10. **परियोजना कार्यः**—(1) पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के अंतिम छः माह में छात्र को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा आबंटित विषय पर परियोजना कार्य को प्रस्तुत करना होगा।

(2) परियोजना कार्य का विषय प्रयोगात्मक तथा उस विशिष्टता में क्षमता विकसित करने में सहायक होना चाहिए।

(3) परियोजना कार्य का विषय विशिष्टता की विषय सामग्री से सम्बन्धित होना चाहिए।

11. **परीक्षा एवं मूल्यांकनः**—(1) किसी भी नैदानिक विषय में परीक्षा में सैद्धान्तिक, नैदानिक अथवा प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा होगी।

(2) किसी भी गैर–नैदानिक विषय में परीक्षा में यदि आवश्यकता हो तो, सैद्धान्तिक अथवा प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा होगी।

(3) सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में परीक्षाएं निम्नवत् होंगीः

(क) **सिद्धान्तः**—सिद्धांत के कुल छः प्रश्नपत्र होंगे (चार प्रश्नपत्र प्रथम वर्ष में तथा दो प्रश्नपत्र द्वितीय वर्ष में) तथा इनमें से एक प्रश्नपत्र अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विशेषता पर आधारित होगा;

(ख) **नैदानिकः**—विषय की नैदानिक परीक्षा में अभ्यर्थी के ज्ञान की जांच तथा मूल्यांकन तथा विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने की सक्षमता की जांच होगी;

(ग) **प्रायोगात्मकः**—प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रयोगात्मक कौशल और सम्बन्धित विशिष्टता में सक्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा;

(घ) **मौखिक परीक्षाः**—मौखिक परीक्षा विस्तृत होगी तथा छात्र के ज्ञान, सक्षमता, विषय को समझने तथा सम्बन्धित विषय में उसके सम्प्रेषण कौशल के मूल्यांकन पर आधारित होगी जो कि परीक्षा के एक भाग के रूप में होगी;

(ड.) छात्रों को अंतिम परीक्षा में बैठने योग्य बनाने के लिए प्रवेश के बाद एक शैक्षिक वर्ष के अन्त में संस्था, जहाँ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे, द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा ली जाएगी;

(च) अंतिम परीक्षा दूसरे वर्ष के अंत में होगी तथा छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा से कम से कम 90 दिन पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(छ) परीक्षा का उद्देश्य नैदानिक कुशाग्रमा, योग्यता और विशिष्टता के प्रयोगात्मक पहलुओं में छात्र के कार्यसाधक ज्ञान तथा विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने के लिए उसकी योग्यता की जाँच होगी;

(ज) नैदानिक अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा का उद्देश्य छात्र की सक्षमता का सावधानीपूर्वक निर्धारण करना होगा;

(झ) प्रयोगात्मक परीक्षा में मौखिक परीक्षा के भाग में विशिष्टता के किसी भी पहलू पर विस्तृत चर्चा शामिल होगी;

(ञ) न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धांत एवं प्रयोगात्मक में अलग—अलग 50% अंक होंगे तथा अधिकतम अनुग्रह अंक केवल एक प्रश्नपत्र में 05 होंगे

(ट) प्रथम और द्वितीय वर्ष में सिद्धांत अथवा प्रयोगात्मक के लिये प्रश्नपत्रों की संख्या एवं अंक अनुसूची—II में उल्लेख अनुसार होंगे;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षों के अंत में संचालित अंतिम परीक्षा में 75% पाठ्यविवरण द्वितीय वर्ष का और 25% पाठ्यविवरण प्रथम वर्ष का होगा;

(ड) विश्वविद्यालय के प्रश्नपत्र में पाठ्यविवरण के प्रत्येक विषय को लिया जाएगा;

(ढ) न्यूनतम 50% उत्तीर्णांक होंगे, तथापि, परिणाम में केवल ''उत्तीर्ण'' अथवा ''अनुत्तीर्ण'' सूचित किया जाएगा।

12. **सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु पात्रताः**—अभ्यर्थी को सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त विषयों को उत्तीर्ण करना होगा तथा अपने परियोजना कार्य को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

13. **परीक्षकः**—परीक्षक को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के समय—समय पर मानकों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा तथा परीक्षक को सिद्ध में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होना होगा।

14. **सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताएं** :—(1) सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो तथा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, में संचालित किया जाएगा; तथा

(2) केन्द्रों में सम्बन्धित विशिष्टता और विषयों में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पर्याप्त आधारभूत— संरचना, उपस्कर, संकाय और सुविधाएं होनी चाहिए।

15. **शिक्षक छात्र अनुपातः**—जहॉ पर सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त एक अतिरिक्त शिक्षक होगा वहाँ पर सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पांच सीटें प्रदान की जाएंगी तथा जहॉ पर कोई अतिरिक्त शिक्षक नहीं होगा वहॉ केवल दो सीटें प्रदान की जाएंगी।

16. **प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की संख्याः**— सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश की संख्या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या के समानुपात में होगी या प्रत्येक विषय में अधिकतम 5 छात्र होगी।

17. **सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु मानदण्डः—**

(1) सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन मात्र भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम की धारा 13क अथवा 13ग में यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से स्थापित संस्थओं द्वारा किया जा सकता है;

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित संस्थानों को स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु परिषद् द्वारा विहित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो कि डिप्लोमा में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार निर्भर पर होंगी।

(3) अनुषंगी (सहायक) विभागों की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

18. **शुल्कः**—(1) समय—समय पर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद् द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था छात्रावास, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय प्रभार वसूल करेंगे, तथा कैपिटेशन फीस (प्रति व्यक्ति शुल्क) अथवा चंदा (दान) जैसे कोई अन्य प्रभार उनके द्वारा वसूल नहीं किए जाएंगे।

19. **डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति को वापिस लेनाः**— डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति को वापिस ले लिया जाएगा, यदि—

(1) कोई संस्थान परिषद् के प्रतिमानकों के अनुरूप न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होता है;

(2) परिषद् द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(3) चंदा (दान) और कैपिटेशन शुल्क लिया जाता है;

(4) शिक्षा, छात्रावास और पुस्तकालय शुल्क विहित शुल्क से अधिक लगाया जाता है।

20. अनुमति की प्रकिया (विधि):– (क) कोई मान्यताप्राप्त संस्था अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 दिनांक 15 मार्च, 2004 तथा 16 मार्च, 2004 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित एवं तद्न्तर्गत संशोधित विनियम 2013, दिनांक 28.03.2014, में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क, योजना तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु सहमति सहित प्रति वर्ष 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक आवेदन करेगी;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्र को अनुवर्ती कलैण्डर वर्ष की 31 जनवरी को अथवा इससे पूर्व परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा;

(ग) आवेदन–पत्र प्राप्त होने के बाद परिषद् द्वारा प्रस्ताव की जाँच (छानबीन) की जाएगी तथा वांछित सूचना यदि कोई हो तो महाविद्यालय से प्राप्त की जाएगी तथा परिषद् द्वारा महाविद्यालय का परिदर्शन किया जाएगा, तथा परिषद् अपनी संस्तुतियां खण्ड (ii) में उल्लिखित वर्ष की 28 फरवरी को अथवा इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगी; तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट होने अथवा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् खण्ड (ii) में उल्लिखित वर्ष की 31 मार्च तक स्वीकृति या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो का पत्र जारी करेगी।

अनुसूची–I

(विनियम–5 देखें)

क्रम संख्या	पूर्ण नाम पद्धति	अंग्रेजी समानान्तर	संक्षिप्त रूप	विभाग जिसके अंतर्गत विषय पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है
1.	तोल मरूतुवम् (डर्मेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी (सिद्ध)	पी.जी.डिप. डर्म. (सिद्ध)	अरूवै, तोल मरूतुवम विभाग
2.	मूतियर मरूतुवम् (जेरिएट्रिक मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन (जेरिएट्रिक मेडीसिन) (सिद्ध)	पी.जी.डिप. जेट. मेड. (सिद्ध)	वर्मम, पुर मरूतुवम तथा सिराप्पु मरूतुवम विभाग
3.	कन मरूतुवम् (आथ्येल्मोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन (आथ्येल्मोलॉजी) (सिद्ध)	पी.जी.डिप. आथ्य (सिद्ध)	अरूवै, तोल मरूतुवम विभाग
4.	वथा नोई मरूतुवम् (रूमेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन (रूमेटोलॉजी) (सिद्ध)	पी.जी.डिप. रूम. (सिद्ध)	वमर्म, पुर मरूतुवम् तथा सिराप्पु मरूतुवम् विभाग
5.	नीरीझिवु मरूतुवम् (डायबेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबेटोलॉजी (सिद्ध)	पी.जी.डिप. डायब. (सिद्ध)	मरूतुवम् विभाग
6.	करूवाक्का मरूतुवम् (फर्टिलिटी मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फर्टिलिटी मेडीसिन (सिद्ध)	पी.जी.डिप. फर्ट. मेड. (सिद्ध)	सूल मरूतुवम विभाग
7.	मरून्तु सैयल (फार्मास्यूटिक्स) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिक्स (सिद्ध)	पी.जी.डिप. फार्मा. (सिद्ध)	गुणापदम विभाग
8.	कायाकरपम तथा योगम (रेजुवेनेशन तथा योगा) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेजुवेनेशन तथा योगा (सिद्ध)	पी.जी.डिप. रेजु. एण्ड योगा (सिद्ध)	वर्मम, पुर मरूतुवम तथा सिराप्पु मरूतुवम् विभाग
9.	माना नोई मरूतुवम् (साईकेट्रिक मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साईकेट्रिक मेडीसिन (सिद्ध)	पी.जी.डिप. साईक. मेड. (सिद्ध)	वर्मम, पुर मरूतुवम तथा सिराप्पु मरूतुवम् विभाग
10.	पुत्रू नोई मरूतुवम् (अनकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अनकोलॉजी (सिद्ध)	पी.जी.डिप. अनको. (सिद्ध)	मरूतुवम् अथवा अरूवै, तोल मरूतुवम विभाग

11.	नोई अनुगा विती ओझुक्कम (प्रीवेन्टिव मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रीवेन्टिव मेडीसिन (सिद्ध)	पी.जी.डिप. प्रीव. मेड. (सिद्ध)	नोई नाडल विभाग

अनुसूची—II

[विनियम—II (3) (ट)]

प्रथम तथा द्वितीय वर्ष हेतु सिद्धान्त अथवा प्रयोगात्मक के लिए प्रश्नपत्रों की संख्या तथा अंक

क्रम संख्या	डिप्लोमा/विशेषता का विषय	सिद्धान्त के प्रश्नपत्रों की संख्या	सिद्धान्त में कुल अंक	प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक (मौखिक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) में कुल अंक
1.	तोल मरूतुवम् (डर्मेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
2.	मूतियर मरूतुवम् (जेरिएट्रिक मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
3.	कन मरूतुवम् (आप्थेल्मोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
4.	वथा नोई मरूतुवम् (रूमेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
5.	नीरीझिवु मरूतुवम् (डायबेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
6.	करूवाक्का मरूतुवम् (फर्टिलिटी मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
7.	मरून्तु सैयल (फार्मास्यूटिक्स) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
8.	कायाकरपम तथा योगम (रेजुवेनेशन तथा योगा) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
9.	माना नोई मरूतुवम् (साईकेट्रिक मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
10.	पुत्रू नोई मरूतुवम् (अनकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100
11.	नोई अनुगा विती ओझुक्कम (प्रीवेन्टिव मेडीसिन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	छः	100 प्रति प्रश्नपत्र	100

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./124/13(308)]

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम विनियम, 2015 को अंतिम माना जाएगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2015

No. 18-12/2012. Siddha (Syllabus-PGDip).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the Post-Graduate Diploma Course in Siddha, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,**—**

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) "Council" means the Central Council of Indian Medicine;

(c) "recognized institution" means an institution having permission of the Central Government under Section 13A or Section 13C of said Act.

3. Aims and Objectives.—The aims and objectives of the Post-Graduate Diploma Course in Siddha shall be —

(a) to produce efficient Siddha specialists in clinical specialities;

(b) to produce the experts in various specialities for research and development in the field of Siddha like Maruthuvam, Varmam, Vathanoigal, Puramaruthuvam, Kuzhanthaimaruthuvam and Yogam; and

(c) to have the skills and competence to diagnose and manage the conditions in respective area of specialities.

4. Specialities for Post-Graduate Diploma in Siddha.—The specialities available in the Post-Graduate Diploma in Siddha shall be the following, namely:**—**

a) Post-Graduate Diploma in Thol Maruthuvam (Dermatology);
b) Post-Graduate Diploma in Muthiyor Maruthuvam (Geriatric Medicine);
c) Post-Graduate Diploma in Kan Maruthuvam (Ophthalmology);
d) Post-Graduate Diploma in Vatha Noi Maruthuvam (Rheumatology);
e) Post-Graduate Diploma in Neerizhivu Maruthuvam (Diabetology);
f) Post-Graduate Diploma in Karuvakka Maruthuvam (Fertility Medicine);
g) Post-Graduate Diploma in Marunthu Seilyal (Pharmaceutics);
h) Post-Graduate Diploma in Kayakarpam and Yogam (Rejuvenation and Yoga);
i) Post-Graduate Diploma in Mana Noi Maruthuvam (Psychiatric Medicine);
j) Post-Graduate Diploma in Putru Noi Maruthuvam (Oncology); and
k) Post-Graduate Diploma in Noianuga Vithi Ozhukkam (Preventive Medicine).

5. Nomenclature and subjects of Post-Graduate Diploma Course.—The nomenclature, subjects of Post-Graduate Diploma Course in Siddha and the Department under which the said courses are included shall be as specified in Schedule-I.

6. Mode of Admission.—(1) A person possessing a degree in Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) of a University or Board or medical institution, specified in the Second Schedule, Third Schedule, and Fourth Schedule of the said Act shall be eligible for admission in the Post Graduate Diploma Course in Siddha.

(2) The candidates should have registered their names in the Central Council of Indian Medicine or State Council of Indian Medicine or Medical Council of the respective country.

(3) Selection of candidate shall be made strictly on the basis of merit.

7. Period of study and attendance.—(1) The period of course for obtaining a Post Graduate Diploma in Siddha shall be two years including the examination period.

(2) The students shall have to attend at least seventy-five per cent. in theory, practical or clinical and seminars, to become eligible for appearing in the examination every year, as specified by the Council.

(3) The students shall have to perform all hospital duties and other duties as may be assigned to them during the course of study.

(4) The students shall have to attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as per the curriculum prescribed programme.

(5) The students shall participate in all the teaching and training programmes and other activities of the Department.

(6) The institution shall conduct at least one seminar in a week and every student should participate in that seminar and every student shall make presentation on an identified subject in the seminar, and such presentation has to made in at least ten seminar to make a student eligible to appear in the final year examination.

8. **Method of training.—**(1) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective speciality.

(2) The emphasis shall be given on intensive applied training.

(3) In the clinical training the student shall undertake the responsibility in the management and treatment of patients independently and deal with emergencies so as to acquire the knowledge of independent work as a specialist.

(4) The students shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and management in the related specialties.

(5) The theoretical, teaching and practical training shall be as per syllabus specified by the Council from time to time

9. Medium of instruction.—The medium of instruction for the courses specified in these regulations shall be Tamil or Hindi or any recognised regional language or English.

10. Project work.—(1) In the last six months of the second year of the course, the student shall submit the project work on the subject allotted by the authorities concerned.

(2) The subject of project work shall be practical oriented, and helpful in the development of competence in the respective specialties.

(3) The subject of the project work shall have relation with the subject matter of the speciality.

11. Examination and assessment.—(1) Examination in any clinical subject shall consist of theory, clinical or practical and viva-voce.

(2) Examination in any non-clinical subject shall consist of theory and practical and viva-voce, if necessary.

(3) The Post-Graduate Diploma course in Siddha shall have examinations in the following manner:

(a) **Theory**: There shall be a total of six theory papers (Four papers in first year and two papers in second year) and one paper out of these shall essentially be based on the concerned speciality;

(b) **Clinical:** Clinical examination of the subject shall be conducted to test and assess the knowledge and competence of the candidate for undertaking independent work as a specialist;

(c) **Practical:** Practical examination shall be conducted to assess the practical skill and competence in the respective specialities;

(d) **Viva-Voce:** The Viva-voce examination shall be in detail and shall aim at assessing the candidate's knowledge, competence, understanding of the subject and his communication skill in the concerned subject, which shall form a part of the examination;

(e) The preliminary examination shall be conducted by the institution where students are undergoing training at the end of one academic year after admission to make the students eligible to appear in the final examination;

(f) The final examination shall be conducted at the end of the second academic year and the students will have to pass preliminary examination at least ninety days before appearing for final examination;

(g) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the speciality and his fitness to work independently as a specialist;

(h) The clinical or practical examination shall be aim at careful assessment of the competence of the student;

(i) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of the speciality;

(j) Minimum passing marks shall be fifty per cent in theory and practical separately and maximum grace marks will be five in one paper only;

(k) The number of papers and marks for theory or practical for the first and second year shall be as mentioned in schedule II;

(l) The final examination conducted by the University at the end of two years shall cover seventy-five per cent syllabus of second year and twenty-five per cent. syllabus of first year;

(m) The question paper of University shall cover each and every topic of the syllabus;

(n) Minimum of fifty percent shall be pass mark, however, the result will indicate only "Satisfactory" or "Non Satisfactory".

12. Eligibility to get awarded with a Post Graduate Diploma in Siddha.-The candidate should have passed all the subjects prescribed for Post Graduate Diploma in Siddha examinations and got his project work approved by the authorities concerned.

13. Examiner.-The Examiner shall be appointed as per the norms of the University concerned from time to time and the Examiner should possess a Post Graduate Degree in Siddha.

14. Minimum requirements for conducting Post Graduate Diploma Course in Siddha.-(1) Post Graduate Diploma course in Siddha shall be conducted in the Siddha Medical College, which is conducting the Post Graduate course in Siddha recognized by the Central Council of Indian Medicine and affiliated to the University concerned; and

(2) The Centre shall have adequate infrastructure, equipments, faculty and facilities required for training in the related specialty and subjects.

15. Teachers students ratio.-Five seats of Post-Graduate Diploma Course in Siddha shall be provided where there is one additional teacher with Post-Graduate qualification in the concerned subject and where there is no additional teacher, only two seats will be provided.

16. Number of students for each course.-The number of students shall be proportional to the intake of admission to the Post- Graduate degree courses in Siddha or a maximum of five student in each subject.

17. Criteria for conducting Post-Graduate Diploma Courses in Siddha.-(1) Post-Graduate Diploma course in Siddha can be conducted only by those institutions establish with the previous permission of the Central Government as specified in section 13A or Section 13C of the said Act;

(2) The institutes refer to in sub-rule (1) shall satisfy the minimum requirements of Under-Graduate and Post-Graduate courses training as specified by the Council depending upon the type of training to be conducted in Diploma;

(3) All the facilities of ancillary departments should be made available.

18. Fee.-(1) Fee shall be fixed by the Council, from time to time with the prior permission of the Central Government;

(2) The recognised institution shall levy Hostel, Laboratory and Library charges, and shall not levy any other charges like capitation fee or donation.

19. Withdrawal of permission for admission in Diploma course.—The permission for admission in Diploma course shall be withdrawn, if –

(i) an Institute fails to meet the minimum standards and requirement in conformity with the norms of the Council;

(ii) students are admitted more than the strength sanctioned by the Council.

(iii) donation and capitation fee are charged.

(iv) tuition, hostel and library fees are charges more than the prescribed fee.

20. Procedure of permission.-(a) Any recognised institution shall apply to the Central Government for permission, from the 1st December to 31st December of every year, along with the required fee, scheme and the consent for affiliation from the concerned university, as prescribed in the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003, dated the 15th March, 2004 and published in the Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 16th March, 2004 and its amendment Regulations, 2013 dated 28th March, 2014.

(b) the application shall be forwarded to the Council by the Central Government on or before the 31st January of the succeeding calendar year;-

(c) after receipt of the application, the proposal will be examined by the Council and desired information if any will be obtained from the college and the college shall be visited by the council, and the Council shall make its recommendation to the Central Government on or before the 28th February of the year referred to in clause (ii); and

(d) the Central Government after satisfying or giving opportunity of hearing, shall issue the letter of Permission or rejection by 31st March of the year referred to in clause (ii) as the case may be.

SCHEDULE-I

(See regulation–5)

Sl. No.	Full Nomenclature	English equivalent	Abbreviation	Department under which the subject course in included
1.	Post-Graduate Diploma in Thol Maruthuvam (Dermatology)	Post-Graduate Diploma in Dermatology (Siddha)	PGDip Derm. (Siddha)	Aruvai, Thoi Maruthuvam Department
2.	Post-Graduate Diploma in Muthiyor Maruthuvam (Geriatric Medicine)	Post-Graduate Diploma in Geriatric Medicine (Siddha)	PGDip Ger. Med. (Siddha)	Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam Department
3.	Post-Graduate Diploma in Kan Maruthuvam (Ophthalmology)	Post-Graduate Diploma in Ophthalmology (Siddha)	PGDip Opth. (Siddha)	Aruvai, Thol Maruthuvam Department
4.	Post-Graduate Diploma in Vatha Noi Maruthuvam (Rheumatology)	Post-Graduate Diploma in Rheumatology (Siddha)	PG Dip Rheum. (Siddha)	Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam Department
5.	Post-Graduate Diploma in Neerizhivu Maruthuvam (Diabetology)	Post-Graduate Diploma in Diabetology (Siddha)	PG Dip Diab. (Siddha)	Maruthuvam Department
6.	Post-Graduate Diploma in Karuvakka Maruthuvam (Fertility Medicine)	Post-Graduate Diploma in Fertility Medicine (Siddha)	PG Dip Fert. Med. (Siddha)	Sool Maruthuvam Department
7.	Post-Graduate Diploma in Marunthu Seilyal (Pharmaceutics)	Post-Graduate Diploma in (Pharmaceutics) (Siddha)	PG Dip Pharm. (Siddha)	Gunapadam Department
8.	Post-Graduate Diploma in Kayakarpam and Yogam (Rejuvenation and Yoga)	Post-Graduate Diploma in Rejuvenation and Yoga (Siddha)	PG Dip Reju. & Yoga (Siddha)	Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam Department
9.	Post-Graduate Diploma in Mana Noi Maruthuvam (Psychiatric Medicine)	Post-Graduate Diploma in Psychiatric Medicine (Siddha)	PGDip Psych. Med. (Siddha)	Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam Department
10.	Post-Graduate Diploma in Putru Noi Maruthuvam (Oncology)	Post-Graduate Diploma in Oncology (Siddha)	PGDip Onco. (Siddha)	Maruthuvam or Aruvai, Thol Maruthuvam Department
11.	Post-Graduate Diploma in Noianuga Vithi Ozhukkam (Preventive Medicine)	Post-Graduate Diploma in Preventive Medicine (Siddha)	PGDip Prev. (Siddha)	Noi Naadal Department

SCHEDULE-II

[See Regulation 11(3) (k)]

Number of Papers and Marks for theory or practical for First & Second year

S.No.	Subject of Diploma/Specialty	Number of Theory Papers	Total Marks in Theory	Total Marks in Practical or Clinical (including viva voce)
1.	Post-Graduate Diploma in Thol Maruthuvam (Dermatology)	Six	100 per paper	100
2.	Post-Graduate Diploma in Muthiyor Maruthuvam (Geriatric Medicine)	Six	100 per paper	100
3.	Post-Graduate Diploma in Kan Maruthuvam (Ophthalmology)	Six	100 per paper	100
4.	Post-Graduate Diploma in Vatha Noi Maruthuvam (Rheumatology)	Six	100 per paper	100
5.	Post-Graduate Diploma in Neerizhivu Maruthuvam (Diabetology)	Six	100 per paper	100
6.	Post-Graduate Diploma in Karuvakka Maruthuvam (Fertility Medicine)	Six	100 per paper	100
7.	Post-Graduate Diploma in Marunthu Seilyal (Pharmaceutics)	Six	100 per paper	100
8.	Post-Graduate Diploma in Kayakarpam and Yogam (Rejuvenation and Yoga)	Six	100 per paper	100
9.	Post-Graduate Diploma in Mana Noi Maruthuvam (Psychiatric Medicine)	Six	100 per paper	100
10.	Post-Graduate Diploma in Putru Noi Maruthuvam (Oncology)	Six	100 per paper	100
11.	Post-Graduate Diploma in Noianuga Vithi Ozhukkam (Preventive Medicine)	Six	100 per paper	100

PREM RAJ SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./124/13/(308)]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015, the English version will be treated as final.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.